न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) (महिला विरुद्ध अपराध)
कानपुर नगर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2785/2026
UPKN010078152026

विवेक राज, उम्र लगभग 30 वर्ष, पुत्र विजय कुमार वर्मा, निवासी कमलबाग रोड, पंखा टोली, थाना काजी मोहम्मदपुर, बिहार हाल पता शिव पार्क, नियर सूर्या हार्डवेयर, खोडा कालोनी, थाना खोडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

----आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

-----अभियोजन पक्ष

जमानत आदेश

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2785/2026 उपरोक्त, आवेदक/अभियुक्त विवेक राज द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 67/2026, धारा 69 व 351(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना फजलगंज, कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत कर, उसे दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि पीड़िता बायो टेक्नोलॉजी से बी०एस०सी० पास करने के उपरान्त जून 2025 से नोएडा स्थित टैक्स्ट बुक नामक एजुकेशन कंसलटेंसी में बी०डी०ई० के पद पर कार्यरत रही, जहाँ उसका परिचय सहकर्मी विवेक राज से हुआ था। विभागीय कामकाज के कारण दोनों में अच्छी मित्रता हो गयी थी। इसी दौरान विवेक राज ने पीड़िता के वाशरूम के कुछ असहज फोटो खींच लिये थे, जिसे सोशल मीडिया व ऑफिस के ग्रुप में प्रकाशित करने की धमकी देकर पीड़िता पर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का दबाव बनाने लगा। घबराकर पीड़िता ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और दूसरी कम्पनी हीरो वायर्ड में इंटरव्यू दिया, जहाँ अभियुक्त नौकरी ज्वाइन कर आ गया तथा लगातार पीड़िता पर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का दबाव बनाने लगा। यह कि दिनांक 16.08.2025 को जब पीड़िता का भाई सौरभ अनुरागी व ममेरा भाई हर्षवर्धन अनुरागी पीड़िता के तत्कालीन निवास अशोक नगर, नोएडा पर आये हुये थे तो अभियुक्त ने पीड़िता का अश्लील फोटो पीड़िता के भाइयों को दिखाने का प्रयास कर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध तब बनाये, जब पीड़िता के भाई बाजार गये हुये थे। तत्पश्चात से अभियुक्त लगातार पीड़िता का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करता चला आ रहा है। अन्ततः पीड़िता अपनी जॉब छोड़कर अपनी बुआ के यहाँ कानपुर आ गयी। दिनांक 19.04.2026 को पीड़िता की फुफेरी बहन की एंगेजमेंट थी, जिसकी जानकारी होने पर अभियुक्त तीन–चार दिन पहले ही कानपुर आ गया व बातचीत करने के बहाने पीड़िता की बुआ के घर आया, जहाँ से पीड़िता के परिजनों ने उसे डाँटकर भगा दिया। यह कि दिनांक 16.04.2026 को जब पीड़िता के परिजन एंगेजमेंट की तैयारियों में व्यस्त थे, रात्रि लगभग 8:30 बजे, मौका पाकर घर के अंदर घुसकर अभियुक्त ने पीड़िता की फोटो वायरल करने की धमकी देकर जबरन शारीरिक सम्बन्ध यह कहते हुए बनाये कि उसकी इच्छा पूरी न करने पर वह पीड़िता व उसके पूरे खानदान व समाज में बदनाम कर देगा और वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तथा धमकी देकर चला गया। तत्पश्चात दिनांक 20.04.2026 को जब पीड़िता अपने घरेलू कार्य से मार्केट जा रही थी, अचानक आकर पीड़िता से बातचीत करने के बहाने अभियुक्त उसका मोबाइल छीनकर भाग गया तथा पीड़िता के खाते से 14,000/– रुपये अपने खाते में अंतरित कर लिये तथा पीड़िता के मोबाइल से सोशल मीडिया पर पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो व रिश्तेदारों को उल्टे सीधे मैसेज भेजकर पीड़िता की इज़्ज़त धूमिल कर रहा है। मोबाइल छिन जाने के बाद भय व डर वश पीड़िता ने समस्त प्रकरण अपने घरवालों को बताया। जिसके क्रम में थाना फजलगंज में शिकायत की, किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस कमिश्नर, कानपुर नगर को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित थाना फजलगंज पर

अभियुक्त विवेक राज के विरुद्ध धारा 69 व 351(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 67/2026 दिनांक 09.05.2026 को प्रातः 09:15 बजे पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उपनिरीक्षक पंकज कुमार यादव के सुपुर्द की गयी। विवेचना के क्रम में पीड़िता के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान अंकित कराए गए। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान अंकित कराए गए। अभियुक्त की लोकेशन के आधार पर उसे गौतम बुद्ध नगर सेक्टर नोएडा से दिनांक 08.06.2026 को गिरफ्तार किया गया। उसके बयान अंकित किये गये। अन्य साक्ष्य संकलित किए गए। तमामी विवेचना से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 69 व 351(2) भारतीय न्याय संहिता का अभियोग बखूबी प्रमाणित पाते हुए आरोपपत्र किता किया गया।

3– संक्षेप में भाई विशाल कुमार के शपथपत्र से समर्थित अपने जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है और उसे अभियोग उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट ग्यारह महीनों के विलंब से पंजीकृत करायी गयी है। शारीरिक शोषण की पूर्व में शिकायत किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। संपूर्ण अभियोजन कहानी विश्वसनीय नहीं है। पीड़िता का मोबाइल छिनने व उक्त मोबाइल से अभियुक्त के खाते में चौदह हजार रुपये स्थानांतरित करने व सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो डालने का कथित कृत्य UPI PIN/OTP/passward जैसी सुरक्षात्मक प्रक्रियाओं के बिना संभव नहीं है। वास्तविकता यह है कि वे परस्पर प्रेम करते थे और सहमति से पति–पत्नी के रूप में महरौली नई दिल्ली में निवास कर रहे थे तथा पीड़िता द्वारा अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित अनेक फोटो सोशल मीडिया पर स्वयं साझा किये गये थे। जिसकी जानकारी होने पर उक्त विवाह को पीड़िता के माता–पिता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और पीड़िता द्वारा पारिवारिक दबाव में आकर, वास्तविक तथ्यों को छिपाकर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। यह कि आवेदक/अभियुक्त के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। यह कि संपूर्ण प्रकरण का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह प्राइवेट नौकरी कर अपने वृद्ध माता–पिता का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति है। यह कि वह अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4– उपरोक्त का विरोध थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या के आधार पर करते हुये विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रवंचनापूर्ण माध्यमों का प्रयोग कर पीड़िता का शारीरिक शोषण किया गया है तथा उसे जान से मारने की धमकी दी गयी, जिससे संबंधित पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध है। जमानत पर रिहा किए जाने पर वह जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करेगा। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना अभियोजन द्वारा की गयी है।

4.1– उपरोक्त का विरोध शपथ पत्र से समर्थित अपनी आपत्ति के माध्यम से करते हुए पीड़िता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसकी जान पहचान का फायदा उठाते हुए वाशरूम में उसकी असहज फोटो खींची थी और पीड़िता अभियुक्त के ब्लैकमेल के कारण उसके जाल में फंसती चली गयी थी। जिस कारण, उसके द्वारा पूर्व में कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। यह कि दिनांक 16.04.2026 की घटना तब की गयी थी, जब सभी लोग गेस्ट हाऊस पहुंच गये थे और पीड़िता घर पर अकेले थी। यह कि जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित फोटो व पिक्चर अभियुक्त द्वारा पीड़िता के सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए, ए०आई० व अन्य टेक्नोलॉजी की मदद से झूठे प्रसारित किये गये हैं। यह कि पीड़िता द्वारा अभियुक्त से कभी प्रेम नहीं किया गया है, जबकि अभियुक्त ने उसे ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण किया है। यह कि अभियुक्त को घटना की पूरी जानकारी थी। इसी कारण उसके पास से किसी वस्तु की बरामदगी नहीं हुयी है। अभियुक्त एक शातिर सोच का खतरनाक अपराधी है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने पर पीड़िता के जीवन को खतरा होगा।

5– सुना गया। दौरान बहस आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसके व पीड़िता के बतौर पति–पत्नी कतिपय फोटोग्राफ पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये।

5.1– जमानत पत्रावली, थाने से प्राप्त छायाप्रति सी०डी० पर्चा 1 ता 16 मय छायाप्रति आरोपपत्र व

प्रस्तरवार आख्या का अवलोकन किया गया।

6– पत्रावली के परिशीलन से आवेदक/अभियुक्त का दिनांक 08.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में होना पक्षों के मध्य विवादित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध प्रवंचनापूर्ण माध्यमों से पीड़िता के साथ मैथुन करने व उसे जाने से मारने की धमकी देने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है और अभियोग उपरोक्त में उसे पीड़िता के परिजनों के दबाव में मिथ्यापूर्ण अभिकथनों के आधार पर झूठा फंसाया गया है तथा पीड़िता और वह बतौर पति–पत्नी महरौली नई दिल्ली में रहते हैं और उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पत्रावली के परिशीलन से दौरान विवेचना पीड़िता व अभियुक्त का लिव–इन–रिलेशनशिप में रहना और शादी हेतु सहमत होना पाया गया है। पत्रावली के परिशीलन से पीड़िता का परिपक्व समझवाली, वयस्क महिला होना दर्शित होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित शारीरिक शोषण की प्रथम घटना दिनांकित 16.08.2025 से ग्यारह महीने के विलंब से पंजीकृत करायी गयी है। दिनांक 16.04.2026 की कथित घटना के समय घटनास्थल पर पीड़िता के अतिरिक्त उसके अन्य परिजनों का भी उपस्थित होना विवेचनात्मक कार्यवाही से दर्शित होता है। विवेचना से पीड़िता के विरुद्ध यौन हिंसा का कोई भी प्रमाण संकलित नहीं हो सका है। प्रकरण में आरोपपत्र किता किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं होता है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या 67/2026, धारा 69 व 351(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना फजलगंज, कानपुर नगर के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त विवेक राज का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2785/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु० 50,000/– रुपये (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है कि वह पीड़िता के साथ पुनः इसी प्रकार का अपराध कारित नहीं करेगा।

2– थाने से प्राप्त छायाप्रति सी०डी० पर्चा 1 ता 16 मय छायाप्रति आरोपपत्र नियमानुसार वापस प्रेषित की जावे।

3– आदेश की एक प्रति, SMWP (CRIMINAL) No. 4/2021 IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 31.01.2023 के क्रम में जेल अधीक्षक जिला कारागार कानपुर नगर को जरिये ई–मेल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

दिनांक– 31.07.2026

(राकेश सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(फास्ट ट्रैक कोर्ट) (महिला विरुद्ध अपराध),
कानपुर नगर।
आई०डी० UP1614

Digitally signed by RAKESH SINGH
Date: 2026.07.31 17:03:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court